

प्रेषक,

डा० बलकार सिंह,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,

उ०प्र०।

2. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,

समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,

उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 3 | मई, 2025

विषय: विधान सभा एवं विधान परिषद की मा० समितियों की बैठकों के सम्बंध में।

महोदय,

विधान सभा एवं विधान परिषद की मा० समितियों की बैठकें समय-समय पर आहूत की जाती हैं, जिनमें विकास प्राधिकरणों से सम्बंधित प्रकरणों के सम्बंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। कभी-कभी मा० समितियों की बैठकों में उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरणों/अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वयं प्रतिभाग न करते हुए बिना शासन की पूर्व अनुमति से किसी प्रतिस्थानी को प्रतिभाग किए जाने हेतु निर्देशित कर दिया जाता है, जिससे मा० समितियों की बैठकों में प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है। प्रायः विकास प्राधिकरणों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित समयानुसार टिप्पणी/आख्या शासन को उपलब्ध नहीं करायी जाती है, जिससे मा० समितियों की बैठकों हेतु टिप्पणी प्रस्तुत करने में विलम्ब होता है व मा० समिति के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न होती है।

2- उक्त के दृष्टिगत मा० समितियों की बैठकों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

- (1) मा० समितियों की बैठक में उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरणों/अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वयं प्रतिभाग किया जाय। यदि किसी विशेष कारण वश प्रतिभाग किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, तो प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही अपने प्रतिस्थानी को नामित करते हुए शासन को मा० समिति की बैठक से 03 दिवस पूर्व अवगत कराया जाय।
- (2) विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या को शासन स्तर पर यथाआवश्यक संशोधनोंपरान्त मा० समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर छायाप्रतियां तैयार करने में लगने वाले समय के दृष्टिगत प्राधिकरणों द्वारा सम्बंधित प्रस्तरों की आख्यायें शासन द्वारा निर्धारित

तिथि पर ही शासन को उपलब्ध करायी जाय अन्यथा उपाध्यक्ष/सचिव, विकास प्राधिकरण/अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

- (3) विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण/अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के हस्ताक्षर अंकित होने चाहिए। टिप्पणी/आख्या शासन को प्रेषित किए जाने से पूर्व उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण/अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्वयं परीक्षण कर संतुष्ट हो जाय, कि मा0 समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली टिप्पणी सुस्पष्ट एवं सारगर्भित है, तथा गत बैठकों में प्रकरण में दिये गये निर्देशों के क्रम में अपेक्षित कार्यवाही सम्बन्धी टिप्पणी भी सम्मिलित है, ताकि मा0 समितियों के सम्मुख उत्तर देने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।
- (4) मा0 समिति की बैठक से पूर्व सम्पन्न तैयारी बैठक के उपरान्त तत्काल संशोधित आख्या शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दी जाय।
- (5) मा0 समितियों में विकास प्राधिकरण स्तर से प्रतिभाग करने वाले अन्य अधिकारियों की सूची सम्बन्धित अनुभाग को मा0 समिति की बैठक से 03 दिवस पूर्व उपलब्ध करा दी जाय। सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनुमोदनोपरान्त प्रतिभागी अधिकारियों की सूची मा0 समिति को प्रेषित की जाय।
- (6) मा0 समितियों की बैठकों में प्रतिभाग करने वाले विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित अधिकारी मा0 समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के संदर्भ में दिये गये निर्देशों को नोट करेंगे तथा बैठक के कार्यवृत्त की प्रतीक्षा किए बिना ही अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही करेंगे। उसके अनुपालन हेतु वे उत्तरदायी होंगे।
- (7) मा0 समितियों के लम्बित प्रस्तारों के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर पर सचिव/अपर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय। उक्त समिति द्वारा मा0 समितियों के प्रकरणों के संदर्भ में पाक्षिक समीक्षा एवं प्रभावी पर्यवेक्षण करते हुए प्रकरणों को ससमय निस्तारित कराया जाय।
- (8) मा0 समितियों के निर्देशानुसार यदि कोई प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित है तो शासन से नियमित पत्राचार कर उसका निस्तारण ससमय कराया जाय।
- (9) मा0 समितियों से आच्छादित प्रकरणों में प्रायः यह आख्या उपलब्ध करायी जाती है कि प्रकरण मा0 न्यायालय में लम्बित होने के कारण निस्तारित नहीं हो पा रहा है। अतः मा0 समितियों से सम्बन्धित प्रकरण जो मा0 न्यायालयों में विचाराधीन है, उन सभी प्रकरणों की नियमित समीक्षा किए जाने हेतु

प्राधिकरण स्तर पर एक लीगल सेल का गठन किया जाय तथा मा0 न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाय।

- (10) आर0सी0 से सम्बंधित प्रकरणों में वसूली हेतु जिलाधिकारी के साथ मासिक रूप से समन्वय बैठक करके वसूली सुनिश्चित की जाय।
- (11) विधान सभा एवं विधान परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा नियमों से सम्बंधित पूछे गये प्रश्नों का उत्तर निर्धारित समयानुसार मा0 सदस्यों को दिया जाना होता है अन्यथा विलम्ब की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए मा0 समिति को अवगत कराये जाने के नियम है। अतः नियमों से सम्बंधित प्रकरणों का उत्तर ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाय।

भारतीय,
(डा0 बलकार सिंह)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव (समस्त), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (2) समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि मा0 समिति की बैठक की सूचना प्राप्त होने पर यदि उससे पूर्व प्रश्नगत समिति की कोई बैठक हुई है तो उसका कार्यवृत्त एवं समिति में विचारार्थ प्रकरणों की सूची प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के अवलोकनार्थ 02 कार्य दिवस के अन्दर प्रस्तुत की जाए, एवं मा0 समिति की बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त होने के उपरांत सम्बंधित अनुभाग 03 कार्य दिवस में कार्यवृत्त की प्रति सम्बंधित अभिकरणों को प्रेषित कर दे।

आज्ञा से,

(डा0 बलकार सिंह)
सचिव।